राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
विभागीय प्रगति एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22
विभागीय परिचय

पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी कार्यो के सम्पादन के लिए वर्ष 1919 में 'राजपूताना इंडियन सोलजर्स बोर्ड' की स्थापना की गई थी। वर्ष 1950 में राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान सरकार के अधीन स्थाई विभाग घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 28.12.1994 से राज्य सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर सैनिक कल्याण विभाग किया गया है। जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय किया गया।

प्रशासनिक व्यवस्था

सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार हैः–

1. **राज्य स्तर** – राज्य स्तर पर इस विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग हैं, उनके सहयोग हेतु उप शासन सचिव एवं अनुभागाधिकारी के पद सृजित हैं।
2. **विभागीय स्तर** – निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग विभागाध्यक्ष हैं, जिन्हें प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त हैं। निदेशक के पद पर सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त 'ब्रिगेडियर' या समकक्ष पद के अधिकारी सावधि के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। विभागाध्यक्ष को सहयोग देने हेतु उप निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) का पद है तथा लेखाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित है।
3. **जिला स्तर** – जिला एवं तहसील स्तर पर इस विभाग के अधीन 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत 'कर्नल/ ले0 कर्नल / मेजर' एवं समकक्ष की रैंक के अधिकारी सावधि के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

4. <u>सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण –</u>

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	1	1	0
2	उप निदेशक	1	1	0
3	लेखाधिकारी	1	1	0
4	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	24	22	2
5	सहायक लेखाधिकारी–II	2	2	0
6	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
7	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	0
8	निजी सहायक	1	0	1
9	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	6	2	4
11	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	20	12	8
12	वरिष्ठ सहायक	38	22	16
13	कनिष्ठ सहायक	58	48	10
14	वाहन चालक	1	1	0
15	जमादार	1	0	1
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	24	10
17	कल्याण संगठक	50	25	25
	योग	241	161	80

5. **<u>सैनिक विश्राम गृह</u>** – विभाग के अधीन 36 स्थानों पर पूर्व सैनिकों को अस्थाई आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सैनिक विश्राम गृह, अजमेर, ब्यावर, अलवर, भरतपुर,

बीकानेर, चूरू, राजगढ़ (चूरू), जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, शेरगढ़ (जोधपुर), कोटा, सीकर, पाली, नागौर, डीडवाना (नागौर), पोकरण (जैसलमेर), भीम (राजसमन्द), उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चिडावा (झुन्झुनूं), नीम का थाना (सीकर), राजसमन्द, बानसूर (अलवर), करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बहरोड़ (अलवर), भीलवाडा, फलौदी फांटा (जोधपुर), औसियां (जोधपुर), धौलपुर, फतेहपुर (सीकर) एवं हनुमानगढ में स्थापित हैं। (परिशिष्ठ 'ख')

6. **पूर्व सैनिकों की संख्या –** राज्य में पंजीकृत पूर्व सैनिकों की संख्या 201434 हैं इनके आश्रितों की संख्या लगभग 604302 एवं विधवाओं की संख्या 55,658 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न युद्वों एवं ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों की संख्या 1635 हैं।

7. **विभागीय कार्यकलाप –** सैनिक कल्याण विभाग का मुख्य उद्धेश्य पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं पूर्व सैनिकों के कल्याणकारी कार्य सम्पादित कराना है। यह विभाग पूर्व सैनिकों को रोजगार/स्व–रोजगार उपलब्ध कराता है। विभिन्न युद्वों में शहीद सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सुविधाऐं उपलब्ध कराता है।

8. **कारगिल पैकेज –** सरकार द्वारा दिनांक 1.4.99 के पश्चात ऑपरेशन विजय तथा अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याणार्थ जारी कारगिल पैकेज निम्नानुसार है –

शहीद की धर्मपत्नि को	दिनांक 1.4.1999 से
आर्थिक लाभ	एक लाख रूपये तत्काल सहायता तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज I एवं II) या एक लाख रूपये तत्काल सहायता तथा हाऊसिंग बोर्ड का एम. आई.जी.मकान या पांच लाख रूपये नकद

	<u>दिनांक 2.4.2015 से</u> एक लाख रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि.फेज ।।) या एक लाख रूपये तथा हाऊसिंग बोर्ड का एम.आई.जी.मकान या बीस लाख रूपये नकद <u>दिनांक 14.2.2019 से</u> पच्चीस लाख रूपये (5 लाख रूपये तत्काल सहायता) तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि.फेज । एवं ।।) या पच्चीस लाख रूपये (5 लाख रूपये तत्काल सहायता) तथा हाऊसिंग बोर्ड का एम.आई.जी.मकान या पचास लाख रूपये नकद
शहीद के माता–पिता को आर्थिक लाभ	अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता–पिता के नाम से 5.00 लाख रूपये की सावधि जमा राशि।
नियोजन	शहीद की धर्मपत्नि या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री का लेवल –10 ग्रेड पे 3600/– तक के पदो पर नियमानुसार नियोजन।
शिक्षा	राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजिनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा। विद्यालय जाने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 1800 रूपये छात्रवृत्ति। महाविद्यालय, तकनीकी, मेडिकल, इंजिनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 3600 रूपये। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जावेगी।
शहीद का सम्मान	एक विद्यालय/औषधालय/चिकित्सालय/पंचायत भवन/मार्ग/पार्क/अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद सैनिक के नाम से किया जाना।

अन्य सुविधाऐं	रा.रा.वि.म. द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो कि शहीद के परिवार के सदस्य के नाम से हो, के लिए 'आउट आफ टर्न' एक विद्युत कनेक्शन की सुविधा। रा.रा.प.प.नि. द्वारा शहीद की धर्मपत्नि एवं उसके आश्रित बच्चों व माता–पिता को डीलक्स एवं साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास की सुविधा।
स्थाई युद्व विकलांग सैनिकों के लिए	दिनांक 1.4.1999 से 25,000/– रूपये तत्काल सहायता . तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि.फेस II में) या 25,000/– रूपये. तथा भूमि की ऐवज में 4.00 लाख रूपये दिनांक 2.4.2015 से 25,000/– रूपये तत्काल सहायता . तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि.फेस II में) या बीस लाख रूपये नकद दिनांक 14.2.2019 से 5.00 लाख रूपये तत्काल सहायता . तथा 25 बीघा भूमि(इ.गा. न.परि.फेस II में) या तीस लाख रूपये नकद
नियोजन	स्थाई युद्व विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र/ पुत्री को राज्य सरकार के नियमानुसार लेवल–10 तक नियोजन की सुविधा
कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों / अधिकारियों के आश्रितों (माता–पिता/ पत्नि, पुत्र एवं पुत्री) एवं विकलांग सैनिकों / अधिकारियों के नाम धारित सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त रखा गया है।	
देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में उनके आश्रित पत्नी, पुत्र ,पुत्री, माता या पिता के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा आंवटित/हस्तान्तरित आवासीय भूखण्ड/भवन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में सम्पूर्ण छूट।	

<u>वर्ष 2021–22 की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं</u>

9. **<u>भूमि आवंटन हेतु नवीन नियम –</u>** राज्य सरकार के आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा विभिन्न युद्धों/ऑपरेशनों में शहीद/विकलांग हुए सैनिकों एवं गैलेण्ट्री अवार्ड प्राप्तकर्ताओं एवं उनके आश्रितों को देय 25 बीघा सिंचित भूमि आंवटन के प्रकरणों में आ रही विसंगतियों को दूर करने हेतु अधिसूचना संख्या 3(8)col/2018 दिनांक 25.02.2021 जारी कर नवीन नियम The Rajasthan Colonisation (Allotment of Land to Disabled Personnel of Armed Forces and Central Armed Police Forces and Dependents of Deceased Personnel of Armed Forces and Central Armed Police Forces) Rules, 2021 जारी किये हैं जिसके तहत दिनांक 23.05.1986 से 11.05.1988 एवं दिनांक 01.01.1994 से 16.07.2006 के दौरान गैलेण्ट्री अवार्ड "सेना मेडल" प्राप्तकर्ता सैनिक अथवा उनके आश्रित जिन्हें भूमि के बदले रुपये 2000/–मात्र दिये जाते थे, उनको भी 25 बीघा भूमि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

10. **<u>सावधि जमा राशि में बढ़ोतरी –</u>** दिनांक 01.04.1999 के बाद शहीद सैनिकों के परिवार को राज्य सरकार से देय कारगिल पैकेज के तहत माता–पिता को पोस्ट ऑफिस सावधि जमा की राशि को रु 3.00 लाख से बढाकर रु 5.00 लाख किया गया।

11. **<u>भारत–पाक युद्ध का स्वर्ण जयन्ती समारोह –</u>** दिनांक 16 दिसम्बर 2021 को भारत–पाक युद्ध, 1971 की स्वर्ण जयन्ती के अवसर इस युद्ध में भाग लेने वाले 50 शूरवीरों तथा उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया।

12. **पुनः नियोजन –** ''राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड'' के माध्यम से संविदा के आधार पर सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से 2241 पूर्व सैनिकों को नियोजन प्रदान किया गया।

13. **<u>द्वितीय विश्व युद्ध की पेंशन –</u>** द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को 10,000 रूपये मासिक पेंशन राज्य कोष से देने का प्रावधान किया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1933 पूर्व सैनिक/विधवाओं को 2319.60 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

14. **सम्मान भत्ता** – 31.3.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों की धर्मपत्नियों एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता–पिता को 1200 रूपये राजकोष से एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1800 रूपये कुल 3000 रूपये मासिक सम्मान भत्ता देने का प्रावधान था जिसे बढाकर दिनांक 01.04.2021 से रु 5000 प्रतिमाह किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 649 युद्ध विधवाओं को राज कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 350.46 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

15. **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस –** सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के अवसर पर 01.01.2021 से 31.12.2021 तक ध्वज दिवस की राशि 60.27 लाख रूपये एकत्रित की जा चुकी है।

16. **समस्या समाधान शिविर –** पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की जिला एवं तहसील स्तरीय समस्याओं के निराकरण, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी, कैंटीन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते 52 समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया।

17. **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021** – राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 में समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों से महत्पूर्ण भागीदारी निभाई गई। पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों की कैंटीन कार्ड, पेंशन, सम्मान भत्ता राशि तथा अन्य समस्याओं का बड़ी संख्या में समाधान किया गया ।

18. **शहीद सैनिकों के आश्रितों को सुविधायें –** राज्य में 01.01.2021 से 31.12.2021 तक कुल 03 सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिक शहीद हुए हैं। 09 शहीद सैनिकों के आश्रितों को तत्काल सहायता राशि 17.00 लाख रूपये दिये गये । पिछले वर्ष के शहीदों के लम्बित प्रकरणों को मिलाकर इस वर्ष क्रमशः 11 शहीदों के परिजनों को भूमि के ऐवज में नकद एवं एक मुश्त राशि 470.00 लाख रूपये दिये गये। 08 शहीदों के प्रत्येक माता–पिता के नाम पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना के अन्तर्गत 24.00 लाख रूपये जमा कराये जा चुके हैं। 13 शहीदों के परिजनों को रोडवेज के फ्री पास जारी किये जा चुके हैं। 117 शहीदों के नाम से विद्यालय नामकरण किया गया

है। 44 शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी दिलवाई गयी। शहीद सैनिकों के 09 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिलवाये गये।

19. <u>**वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र –**</u> राज्य में शहीद वीरांगनाओं के लिये आवासीय सुविधा एवं छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	**वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र**	**सुविधा**
1.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, सांझी छत, जयपुर पी–08, सेक्टर 2, विधाधर नगर, जयपुर–302039	वीरांगनाएँ – 33 छात्राएँ – 100 छात्र – 100
2.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, सीकर नवलगढ रोड़, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, शिवसिंह पुरा, सीकर।	वीरांगनाएँ – 20 छात्र – 80
3.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, झुन्झुनू रेल्वे स्टेशन रोड़, झुन्झुनू	वीरांगनाएँ – 12 छात्राएँ – 64
4.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, जोधपुर पाली रोड़, जोधपुर	वीरांगनाएँ – 12 छात्राएँ – 64
5.	बालिका छात्रावास, कोटा गॉधी नगर, आरके पुरम, कोटा	छात्राएँ – 34

20. **<u>गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को सुविधाएँ</u>** – गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार से निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदत्त हैं :–

क्र0सं0	पदक का नाम	नकद राशि एवं भूमि अनुदान
1.	परमवीर चक्र	20 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
2.	अशोक चक्र	18 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
3.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	16 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
4.	महावीर चक्र	15 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
5.	कीर्ति चक्र	10 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
6.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	9 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
7.	वीर चक्र	8 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
8.	शौर्य चक्र	8 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू

9.	युद्ध सेवा मेडल	6 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
10.	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री	8 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले दिनांक 1.8.2019 से लागू
11.	सेना/वायु/नौ सेना मेडल	6.25 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिनांक 1.8.2019 से लागू
12	पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री	6 लाख रूपये नकद राशि एवं 25 बीघा दिनांक 1.8.2019 से लागू

21. प्रदेश के हजारों सैनिक ड्यूटी के दौरान लंबी अवधि तक बाहर रहते हैं । इस दौरान उनके परिवारों को आ रही समस्याओं को दर्ज कर एवं निराकरण कॉल सेंटर के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई । इस कॉल सेन्टर की स्थापना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयपुर मे की गई है। इसका टोल फ्री नम्बर 0141–2201467 है।

22. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC), देहरादून में प्रदेश के पूर्व सैनिको के 08 अध्ययनरत बच्चों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 88,710/– रूपये छात्रवृति राशि प्रदान की गई।

23. 4542 पूर्व सैनिकों एवं 2376 विधवाओं एवं 16 वीरांगनाओं को पहचान पत्र जारी कराये गये।

24. 1921 पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पारिवारिक पेशंन का निस्तारण कराया गया एवं 1395 प्रकरणों में पेन्शन रिवीजन एवं नोमिनेशन करवाया गया।

25. 521 पूर्व सैनिकों/विधवाओं के आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस के प्रकरण भिजवाये गये।

26. 2211 पूर्व सैनिकों के आश्रितों के पार्ट–II आर्डर करवाये गये।

27. 637 पूर्व सैनिकों के पुलिस प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया।

28. 5055 पूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन हेतु पंजीकरण कराया गया।

29. पूर्व सैनिकों के 2631 बच्चों के केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से शिक्षा अनुदान हेतु आवेदन पत्र भिजवाये गये ।

30. 478 पूर्व सैनिकों को राजकीय सेवाओं में एवं 199 को राज्य सरकार के उपक्रम में पुनः नियोजन दिलाया गया।

31. 12 पूर्व सैनिकों को केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/बैंक में नियोजित करवाया गया।

32. 850 पूर्व सैनिकों/आश्रितों को विभिन्न रिकॉर्ड कार्यालयों के माध्यम से डिस्चार्ज बुक/सर्विस पर्टिकुलर्स बुक दिलवाये गये।

33. पूर्व सैनिकों के 200 बच्चों को प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अन्तर्गत राशि 66.06 लाख रूपये की छात्रवृति दिलवाई गई।

34. 328 पूर्व सैनिकों की कन्याओं की शादी हेतु रु 50000/—मात्र प्रति पुत्री हेतु आर्थिक सहायता के ऑन लाईन आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजे गये हैं, स्वीकृति होना शेष हैं ।

35. 168 पूर्व सैनिकों/विधवाओं को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से पेन्यूरी ग्रान्ट के नये प्रकरण आर्थिक सहायता राशि 80.64 लाख रूपये स्वीकृत कराये गये।

36. 687 विधवाओं को रिकॉड कार्यालय के माध्यम से राशि 27.28 लाख रूपये डिमाईज ग्रान्ट के रूप में स्वीकृत कराये गये।

37. 08 पूर्व सैनिक/विधवाओं को ए.सी.डब्ल्यू.एफ. फण्ड से राशि 2.00 लाख रूपये स्वीकृत कराये गये एवं विभिन्न सहायता के 183 आवेदन प्रेषित किये गये।

38. 1271 पूर्व सैनिकों के बच्चों को आश्रित प्रमाण पत्र जारी किये गये।

39. 1024 पूर्व सैनिकों/विधवाओं के विधुत कनेक्शन में प्राथमिकता देने हेतु पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र जारी कराये गये।

40. 05 पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोचिंग क्लासेज हेतु रु 15000 प्रति प्रकरण की दर से अमलगमेटेड़ फण्ड से कुल राशि 75,000 रूपये का अनुदान प्रदान किया गया।

41. विभिन्न युद्वों एवं काउन्टर इन्सरजेन्सी ऑपरेशनों के शहीद/स्थाई विकलांग सैंनिकों के 10 बच्चों को 36,000/– रूपये की छात्रवृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई।

42. 11,195 पूर्व सैनिकों/विधवाओं के लिए सी.एस.डी. कैंटीन कार्ड बनवाए गए।

43. 415 पूर्व सैनिकों/विधवाओं को ई.सी.एच.एस. के कार्ड जारी कराये गये।

44. 40 शौर्य पदक धारकों को राशि 236.31 लाख रूपये नकद पारितोषिक राशि का भुगतान किया गया। 17 को भूमि के बदले नकद राशि 425.00 लाख रूपये एवं 12 को भूमि आवंटित करवाई गई ।

45. राज्य के एक पूर्व सैनिक जो पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र, पार्क रोड, किरकी (पुणे) में रह रहे हैं, उसके पुनर्वास व चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त संस्थान को 1,00,000 रूपये वार्षिक योगदान भिजवाया गया।

46. विभाग के स्तर पर पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के आँकडें कम्प्यूटर पर संधारित किये गये हैं।

47. राज्य के सभी सैनिक विश्राम गृह में आवश्यक सुविधाओं के लिये सुधार किये गये हैं।

48. प्रत्येक जिला कार्यालयों में स्वच्छता अभियान प्रति सप्ताह चलाया गया।

49. मुख्यालय स्तर पर 9935 पत्र प्राप्त हुए एवं उनका निस्तारण किया गया।

50. 15वीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र से 77 प्रश्न प्राप्त हुये।

51. दिनांक 15–8–1947 से 31–12–1971 की अवधि के दौरान शहीद सैनिक के कुटुम्ब के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 13 को नौकरी प्रदान की गई।

52. अमलगमेटेड फंड से अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे या मानसिक रूप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नी एवं बच्चों के ईलाज हेतु वर्ष 2021–22 में 08 आवेदकों को कुल राशि रु 1,12,000/– रूपये भुगतान की गयी।

53. अमलगमेटेड फण्ड से सामाजिक/पारिवारिक/प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं एवं आश्रितों को 30000/–रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 09 पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को कुल रु 2.70 लाख का भुगतान किया गया।

54. अमलगमेटेड फण्ड से सी.डी.एस./ एन.डी.ए/ आई.एम.ए/ ओटीए/ एयरफोर्स अकाएमी/नेवल अकादमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को 15000/– रूपये की एक मुश्त कोचिंग अनुदान प्रदान करने हेतु आदेश जारी किए गऐ जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 05 बच्चों को कुल रु 75000/–मात्र स्वीकृत किये गये।

55. अमलगमेटेड फण्ड से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु पूर्व सैनिकों के बच्चों को 15000/–रूपये की छात्रवृति प्रदान करने हेतु आदेश जारी किए गए जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 02 बच्चों को कुल रु 30000/–मात्र स्वीकृत किये गये।

56. अमलगमेटेड फण्ड से पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी 02 कन्याओं के विवाह हेतु 25000/– रूपये प्रत्येक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आदेश जारी किए गए जिसके तहत 01 विधवा को रु 25000/–मात्र स्वीकृत किये गये।

57. राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का प्रावधान था, जिसे बढाकर 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों पर नियोजन हेतु न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान था। इन पदों हेतु भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर न्यूनतम प्राप्तांक में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

58. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2020–21 के बिन्दु संख्या 196 के अन्तर्गत की गई घोषणा ''प्रदेश के 24 जिला सैनिक कार्यालयों में आगन्तुक पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजनों हेतु सुविधायें विकसित करने के लिए राशि 5.00 लाख रूपये प्रति जिले की दर से जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है'' के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत 10 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को बजट आवंटन किया गया था उसी क्रम में

वर्ष 2021–22 में 10 अन्य जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों हेतु रु 25.00 लाख का बजट आवंटन किया गया है जिससे निर्माण एवं फर्नीशिंग का कार्य करवाया जा रहा है।

59. जिला धौलपुर में सैनिक विश्राम गृह निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में 50.00 लाख रूपये का आवंटन तथा वर्ष 2021–22 में 50.00 लाख रूपये आवंटन किया गया है। सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फर्नीचर फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार डीडवाना जिला नागौर में इन्टीग्रेटेड कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु वर्ष 2021–22 में रु 70.00 लाख का बजट का आंवटन किया गया हैं। फेस–1 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फेस–2 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

60. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जैसलमेर द्वारा अभियान चलाकर पूर्व सैनिकों/वीरांगनाओं के पेंशन संशोधन प्रकरण निस्तारण कर लगभग रुपये 1.5 करोड़ का बकाया भुगतान दिलाया गया तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, नागौर द्वारा 01 पूर्व सैनिक की विधवा का पेंशन संशोधन करवाकर रु 12.00 लाख का एरियर दिलाया गया।

61. विभागीय नवीन वेबसाईट www.sainikkalyan.rajasthan.gov.in है।

————

<u>विगत 3 वर्षो एवं वर्ष 31.12.2021 तक की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण</u>

क्र. सं.	सैनिक कल्याण विभाग	विगत 3 वर्षो तक की उपलब्धियां		वर्ष 2021—22 की उपलब्धियां	
		संख्या	राशि रूपये (लाखों में)	संख्या	राशि रूपये (लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	पहचान पत्र				
	पूर्व सैनिक	20346	0	4542	0
	विधवा	1818	0	2376	0
2.	पारिवारिक पेंशन	3352	0	1921	0
3.	पेंशन रिवीजन एवं नोमिनेशन	7777	0	1395	0
4.	आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस	1700	0	521	0
5.	पार्ट—II आर्डर	8616	0	2211	0
6.	पुलिस प्रकरण	2300	0	637	0
7.	पुनःनियोजन हेतु पंजीकरण	14545	0	5055	0
8.	पुनः नियोजन				
	1. राज्य सरकार	90	0	478	0
	2. राज्य सरकार के उपक्रम	65	0	199	0
	3. केन्द्र सरकार	26	0	09	0
	4. केन्द्र सरकार का उपक्रम	52	0	00	0
	5. बैंक	41	0	03	0
	6. REXCO	8023	0	2241	0
9.	दिनांक 1.1.1971से 31.3.99 की अवधि के दौरान शहीद सैनिक/युद्ध विकलांग सैनिकों को सहायता				
	1. नौकरी	22	0	04	0
	2. नकद राशि	19	0.94	0	0
	3. छात्रवृति	12	0.476	0	0
	4. रोडवेज पास	13	0	0	0
	5. विधुत कनेक्शन	05	0	09	0
	6. विद्यालय नामकरण	पूर्व में कॉलम नहीं था		65	0

क्र. सं.	सैनिक कल्याण विभाग	विगत 3 वर्षो तक की उपलब्धियां		वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां	
		संख्या	राशि रूपये (लाखों में)	संख्या	राशि रूपये (लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	दिनांक 1.4.1999 के बाद शहीद सैनिक /युद्ध विकलांग सैनिकों को सहायता 1. तत्काल सहायता	47	174.00	09	17.00
	2. आवास	11	0	0	0
	3. भूमि	16	0	0	0
	4. भूमि के बदले नकद राशि एवं एक मुश्त राशि	42	1209.00	11	470.00
	5. माता पिता को मासिक आय योजना	25	75.00	08	24.00
	6. नौकरी	25	0	27	0
	7. विद्यालय/संस्था का नामकरण	194	0	16	0
	8. रोडवेज बस पास	53	0	13	0
	9. कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन	34	0	04	0
11.	1.दिनांक 15.8.1947 से 31.12.1971 तक की अवधि के दौरान शहीद सैनिक के एक आश्रित को नौकरी	13	0	13	0
	2.विद्यालय नामकरण	पूर्व में कॉलम नहीं था		36	0
12.	अमलगमेटेड फन्ड से सहायता 1. शादी के लिए आर्थिक सहायता	0	0	01	0.25
	2. अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे एवं मानसिक विक्षिप्त पूर्व सैनिक/आश्रितों को मेडीकल सहायता	0	0	08	1.12

क्र. सं.	सैनिक कल्याण विभाग	विगत 3 वर्षो तक की उपलब्धियां		वर्ष 2021—22 की उपलब्धियां	
		संख्या	राशि रूपये (लाखों में)	संख्या	राशि रूपये (लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3. 26 जनवरी / 15 अगस्त को सम्मान सहायता	0	0	178	
	4. छात्रवृति	0	0	02	0.30
	5. कोचिंग कक्षा अध्ययन अनुदान	09	0.55	05	0.75
	6. सामाजिक / पारिवारिक / प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे पूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता	0	0	09	2.70
13	प्रधानमंत्री छात्रवृति	416	115.53	200	66.06
14.	रक्षामंत्री सुरक्षा कोष से सहायता 1. आर्थिक सहायता	983	471.84	168	71.04
	2. शादी हेतु सहायता	1314	956.50	328	स्वीकृति शेष
	3. शिक्षा हेतु सहायता स्वीकृत—5562, पेन्डिंग—8283	5562	1085.04	2631	स्वीकृति शेष
	4. फ्यूनरल ग्रान्ट	196	9.80	64	3.20
15.	आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड से सहायता				
	1. शादी के आर्थिक सहायता	17	8.5	08	2.00
	2. विकलांग हेतु ट्राई साईकल / मोडिफाईड स्कूटर हेतु सहायता	02	0	01	0
	3. शिक्षा हेतु सहायता	22	4.21	183	0.30
	4. स्वरोजगार हेतु सहायता	0	0	0	0
16.	अभिलेख कार्यालयों से सहायता 1. दाह संस्कार हेतु सहायता	1920	134.55	687	27.28
	2. अन्य सहायता	164	18.52	0	0

क्र. सं.	सैनिक कल्याण विभाग	विगत 3 वर्षो तक की उपलब्धियां		वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां	
		संख्या	राशि रूपये (लाखों में)	संख्या	राशि रूपये (लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	आर्मी वाईव्ज वेलफेयर एसोसियेशन से सहायता	29	32.15	03	5.50
18.	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना के तहत मेडिकल बेनिफिट कार्ड की सहायता	3694	0	1712	0
19.	सेवारत सैनिक 1. पुलिस प्रकरण	1790	0	375	0
	2. वर्तमान पते की जॉच	4030	0	1491	0
	3. सेवानिवृति बाबत जॉच	405	0	125	0
	4. भूमि हेतु प्रकरण भिजवाये गये	220	0	108	0
20.	डुप्लीकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट	2572	0	850	0
21.	पूर्व सैनिकों के आश्रित प्रमाण पत्र	3051	0	1271	0
22.	विधुत कनेक्शन में प्राथमिकता देने हेतु पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र	1249	0	1024	0
23.	पूर्व सैनिक / विधवाओं को भूमि आंवटन	338	0	129 प्रकरण भेजे गये	0
24.	युद्ध विधवाओं को इंदिरा आवास के तहत आवास उपलब्ध	2	0	0	0
25.	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना के तहत मेडिकल बेनिफिट कार्ड	18079	0	1246	0
26.	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन राशि का भुगतान	8107	7573.36	1933	2319.60
27.	सम्मान भत्ता राशि का भुगतान	2061	3156.14	649	350.46
28.	सी.एस.डी. केन्टीन सुविधा	97518	0	11195	0

क्र. सं.	सैनिक कल्याण विभाग	विगत 3 वर्षो तक की उपलब्धियां		वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां	
		संख्या	राशि रूपये (लाखों में)	संख्या	राशि रूपये (लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	शौर्य पदक धारकों को देय सहायता				
	1. नकद राशि	84	508.52	40	236.31
	2. भूमि	71	0	12	0
	3. भूमि के बदले नकद राशि	08	32.00	17	400.25
	4. रियायती दरों पर आवासीय भूखण्ड	0	0	0	0
	5. रोड़वेज बस पास	0	0	196	0
30.	आवासन मण्डल द्वारा आवास आवंटन	66	0	0	0
31.	सशस्त्र सेना ध्वज दिवस पर प्राप्त राशि	0	197.17	0	60.27
32.	पैरा– प्लेजिक/टेटरा प्लेजिक श्रेणी के तहत भूतपूर्व सैनिकों को देय सहायता	03	3.00	1	1.00
33.	पूर्व सैनिकों की रैलियॉ	5	0	52	0

परिशिष्ट 'क'

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
पता, टेलीफोन नम्बर, ई–मेल एवं कार्यक्षेत्र

क्र. सं.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टेलीफोन नम्बर एवं ईमेल	कार्यक्षेत्र
1.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजमेर टोडरमल मार्ग, राजस्व मण्डल के सामने, अजमेर – 305001 टेली. नं.– 0145–2627972 Email-ZSKA.AJMER@RAJASTHAN.GOV.IN	अजमेर जिला।
2.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अलवर कम्पनी बाग के सामने, अलवर–301001 टेली. नं.–0144–2338527 Email- zska.alwar@rajasthan.gov.in	अलवर जिले की अलवर, कोटकासिम, तिजारा, थानागाजी, कठुमर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, रैनी, किशनगढ़बास, रामगढ़, गोविन्दगढ़, मालाखेड़ा तहसीलें।
3.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बहरोड दयानन्द मार्ग, पावर हाऊस के पास, बहरोड– 301701 टेली. नं.–01494–222084 Email-ZSKA.BEHROR@RAJASTHAN.GOV.IN	अलवर जिले की बहरोड़, बानसुर, नीमराणा, मुण्डावर तहसीलें।
4.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, भीलवाडा मानसरोवर झील के पास, रीको रोड, पटेल नगर, भीलवाड़ा– 311001 टेली. नं.–8619439038 Email- zska.bhilwara@rajasthan.in	भीलवाडा एवं चित्तौड़गढ़ जिले।
5.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बाड़मेर इंदिरा कॉलोनी, बाड़मेर – 344001 टेली. नं.–02982–221185	बाड़मेर जिला।

क्र. सं.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टेलीफोन नम्बर एवं ईमेल	कार्यक्षेत्र
	Email- zska.barmer@rajasthan.gov.in	
6.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, भरतपुर गोरधन गेट के पास, भरतपुर टेली. नं.–05644–223707 Email- ZSKKBTP@RAJASTHAN.GOV.IN	भरतपुर एवं धौलपुर जिले।
7.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बीकानेर सिविल लाईन्स, गॉधी पार्क के सामने, बीकानेर– 334001 टेली. नं.–0151–2226671 Email- ZSKA.BIK@RAJASTHAN.GOV.IN	बीकानेर जिला ।
8.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चूरू भालेरी रोड़, पुलिस लाईंस के पास, चूरू– 331001 01562–250948 Email- SAINIKKALYAN.CHURU@RAJASTHAN.GOV.IN	चूरू जिला
9.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयपुर सी–1, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर– 302016 टेली. नं.–0141–2201487 Email- ZSKA.JAIPUR@RAJASTHAN.GOV.IN	जयपुर एवं दौसा जिलें।
10.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जैसलमेर रेल्वे स्टेशन के सामने, अशोका होटल के पास, जैसलमेर – 345001 टेली. नं.–02992–294720 Email- zska-jai-rj@nic.in	जैसलमेर जिला ।
11.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, झुन्झुनू रेल्वे स्टेशन के पास, झुन्झुनू टेली. नं.–01592-232653 Email- zska.jjn@rajasthan.gov.in	झुन्झुनूं जिले की झुन्झुनू, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुढ़ा गौड़ जी, मलसीसर, मण्डावा तहसीलें।

क्र. सं.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टेलीफोन नम्बर एवं ईमेल	कार्यक्षेत्र
12.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चिडावा डालमिया स्कूल स्पोर्टस ग्राउण्ड के पीछे, कोर्ट रोड़, चिडावा– 333026, जिला झुन्झुनू टेली. नं.–01596–222880 Email- SAINIK.CHIRAWA@RAJASTHAN.GOV.IN	झुन्झुनूं जिले की चिडावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी तहसीलें।
13	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जोधपुर राई का बाग, बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर टेली. नं.–0291-2650372 Email- zska-jod-rj@nic.in	जोधपुर जिले की जोधपुर, ओसियां, भोपालगढ, तिवंरी, बिलाड़ा, लूनी, बावड़ी, बापिनी, पिपाड़ सिटी तहसीलें।
14.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शेरगढ तहसील मुख्यालय के पास, शेरगढ–342022 जिला जोधपुर टेली. नं.–02929-243694 Email- ZSKA.SHERGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	जोधपुर जिले की शेरगढ़, फलौदी, बालेसर, सेखाला, देचू, लोहावट, बाप, आउ, सेतरावा तहसीलें।
15.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोटा जे.के.लॉन अस्पताल के पास, नर्सिंग कॉलेज के सामने, नयापुरा, कोटा–324001 टेली. नं.–0744-2323712 Email- Zska.kota@rajasthan.in	कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिले।
16.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नागौर रेल्वे क्रोसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर – 341001 टेली. नं.–01582–240776 Email- sainik.nagaur@rajasthan.gov.in	नागौर जिले की नागौर, खिवंसर, जायल, डेगाना, मेड़तासिटी तहसीलें।
17.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीडवाना आर.टी.ओ. आफिस के पास, डीडवाना, नागौर टेली. नं.–01580-294789 Email- zska-nag-did-rj@nic.in	नागौर जिले की डीडवाना, लाडनू, नावां, परबतसर, मकराना, कुचामन तहसीलें।

क. सं.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टेलीफोन नम्बर एवं ईमेल	कार्यक्षेत्र
18.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पाली होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के पास, नया गॉव रोड़, पाली – 306401 टेली. नं.–02932–225230 Email- zska.pali@rajasthan.gov.in	पाली, जालोर एवं सिरोही जिले।
19.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, करौली गदका की चौकी, वन विभाग के पास करौली– 322241 टेली. नं.–07464–297014 Email- ZSKA.KARAULI@RAJASTHAN.GOV.IN	करौली एवं सवाई माधोपुर जिले।
20.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सीकर कलेक्ट्रेट के पास, कोर्ट रोड़, सीकर – 332001 टेली. नं.–01572–254437 Email- ZSKA.SIKAR@RAJASTHAN.GOV.IN	सीकर जिले की सीकर, धोद, रामगढ़ शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़ तहसीलें।
21.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नीमकाथाना पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के सामने, छावनी, नीमकाथाना–332713 जिला सीकर टेली. नं.–01574-231920 Email- ZSKA.NKT@RAJASTHAN.GOV.IN	सीकर जिले की नीमकाथाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर तहसीलें।
22.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, टोंक 1/17, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बस स्टैंण्ड के सामने, टोंक – 304001 टेली. नं.–01432–294618 Email- ZSKATONK@RAJASTHAN.GOV.IN	टोंक जिला।
23.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, श्री गंगानगर पुराने गवर्मेन्ट हास्पीटल के पीछे, सिविल लाईन्स, श्री गंगानगर– 335001 टेली. नं.–0154–2442547 Email- ZSKA.SGGNR@RAJASTHAN.GOV.IN	श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ जिले।
24.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उदयपुर सी–76, मधुबन, चेतक सर्किल के पास, उदयपुर– 313001 टेली. नं.–0294-2940052 Email- rjko201327014784@rajasthan.in	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले।

परिशिष्ट 'ख'

सैनिक विश्राम गृह

क्र0 सं0	सैनिक विश्राम गृह का नाम एवं पता
1	सैनिक विश्राम गृह, अजमेर टोडरमल मार्ग, राजस्व मण्डल के सामने, अजमेर – 305001
2	सैनिक विश्राम गृह, ब्यावर पुलिस कोतवाली के पास ब्यावर जिला अजमेर – 305203
3	सैनिक विश्राम गृह, अलवर कम्पनी बाग के सामने, अलवर – 301001
4	सैनिक विश्राम गृह, बहरोड़ दयानन्द मार्ग, पावर हाऊस के पास, बहरोड़ – 301701 जिला अलवर
5	सैनिक विश्राम गृह, बानसूर ग्राम पोस्ट – रामनगर, गूता–बानसूर रोड़, बानसूर–301416 जिला अलवर
6	सैनिक विश्राम गृह, भीलवाडा मानसरोवर झील के पास, रीको रोड़, पटेल नगर, भीलवाड़ा – 311001
7	सैनिक विश्राम गृह, बाडमेर इंदिरा कॉलोनी, बाड़मेर – 344001
8	सैनिक विश्राम गृह, भरतपुर गोरधन गेट के पास, भरतपुर –321001
9	सैनिक विश्राम गृह, धौलपुर भूमि विकास बैंक के पास, जी.टी. रोड़, धौलपुर–328001
10	सैनिक विश्राम गृह, बीकानेर सिविल लाईन्स, गॉधी पार्क के सामने, बीकानेर– 334001
11	सैनिक विश्राम गृह, चूरू भालेरी रोड़, पुलिस लाईंस के पास, चूरू– 331001

क्र0 सं0	सैनिक विश्राम गृह का नाम एवं पता
12	सैनिक विश्राम गृह, राजगढ़ (जिला चूरू) सैनिक बस्ती, इंडस्ट्रीयल एरिया, राजगढ– 331023 जिला चूरू
13	सैनिक विश्राम गृह, जयपुर सी–1, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर– 302016
14	सैनिक विश्राम गृह, जैसलमेर रेल्वे स्टेशन के सामने, अशोका होटल के पास, जैसलमेर – 345001
15	सैनिक विश्राम गृह, पोकरण भवानीपुरा, पोकरण–345021, जिला जैसलमेर
16	सैनिक विश्राम गृह, झुन्झुनूं रेल्वे स्टेशन के पास, झुन्झुनूं – 333029
17	सैनिक विश्राम गृह, चिड़ावा डालमिया स्कूल स्पोर्टस ग्राउण्ड के पीछे, कोर्ट रोड़, चिडावा– 333026, जिला झुन्झुनू
18	सैनिक विश्राम गृह, जोधपुर राई का बाग, बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर– 342006
19	सैनिक विश्राम गृह, औसियां एस0डी0ओ0 आफिस के सामने, बस स्टैण्ड के पास, औसियां–342303 जिला जोधपुर
20	सैनिक विश्राम गृह, शेरगढ़ तहसील मुख्यालय के पास, शेरगढ–342022 जिला जोधपुर
21	सैनिक विश्राम गृह, फलौदी फांटा (कुई जोधा) तहसील बालेसर –342301 जिला जोधपुर
22	सैनिक विश्राम गृह, कोटा जे.के.लॉन अस्पताल के पास, नर्सिंग कॉलेज के सामने, नयापुरा, कोटा–324001
23	सैनिक विश्राम गृह, झालावाड़ नई कोतवाली के पीछे, झालावाड़–326001

क्र0 सं0	सैनिक विश्राम गृह का नाम एवं पता
24	सैनिक विश्राम गृह, नागौर रेल्वे क्रोसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर – 341001
25	सैनिक विश्राम गृह, डीडवाना भारतीय जीवन बीमा निगम के पीछे, डीडवाना – 341303 जिला नागौर
26	सैनिक विश्राम गृह, पाली होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के पास, नया गॉव रोड़, पाली – 306401
27	सैनिक विश्राम गृह, करौली गदका की चौकी, वन विभाग के पास करौली– 322241
28	सैनिक विश्राम गृह, सवाई माधोपुर पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर– 322201
29	सैनिक विश्राम गृह, सीकर कलेक्ट्रेट के पास, कोर्ट रोड़, सीकर – 332001
30	सैनिक विश्राम गृह, फतेहपुर, बी.एस.एन.एल आफिस के पीछे, फतेहपुर शेखावाटी – 332301 जिला सीकर
31	सैनिक विश्राम गृह, नीम का थाना पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के सामने, छावनी, नीमकाथाना–332713 जिला सीकर
32	सैनिक विश्राम गृह, श्री गंगानगर पुराने गवर्मेन्ट हास्पीटल के पीछे, सिविल लाईन्स, श्री गंगानगर– 335001
33	सैनिक विश्राम गृह, हनुमानगढ राजीव गॉधी स्टेडियम के सामने, हनुमानगढ़– 335512
34	सैनिक विश्राम गृह, उदयपुर सी–76, मधुबन, चेतक सर्किल के पास, उदयपुर– 313001
35	सैनिक विश्राम गृह, भीम तहसील रोड़, भीम – 305921 जिला राजसमन्द
36	सैनिक विश्राम गृह, राजसमन्द पुलिस लाईन्स के सामने, राजसमन्द–313324